

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103002542014

दांडिक प्रकरण क.-208 / 14

संस्थापित दिनांक-24.04.14

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>	
विरुद्ध	
01-नंदू पुत्र अर्जुन बाढई उम्र 50 साल 02-राजकुमार पुत्र नंदू बाढई उम्र 29 साल 03-पप्पू पुत्र अर्जुन बाढई उम्र 38 साल 04-छोटे पुत्र दुर्जन कोली उम्र 42 साल निवासीगण गोराकला। <div>.....आरोपीगण</div>	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री नरेश जैन अधिवक्ता।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 30.03.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 323, 336, 506, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02— प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी रतीबाई ने दिनांक 22.02.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक वह अपने घर पर थी। तभी उसे करीब 5 बजे शाम मुन्ना दरवान ने मोबाइल पर बताया कि उसके पति सुरेश की गौराकला में बाढइयों ने कलारी के पास लात-घूसों से मारपीट की है जो बेहोश हालत में पेड के नीचे पड़े हैं। खबर सुनकर वह तथा उसकी सास जानकीबाई, ननद गीताबाई को साथ लेकर कलारी के पास पहुंचीं देखा तो उसका पति बेहोश हालत में पड़ा मिला। उसके दोनों तरफ कनपटी पर एवं शरीर में मुंदी चोटें थीं। कलारी के पास में उसके मोहल्ले के लखन कुशवाह, विनोद ढीमर मिले तो उन्होंने बताया कि सुरेश को नंदू बाढई, राजकुमार बाढई एवं उनके दो साथी थे जिन्होंने लात-घूसों से एवं पत्थर फेंककर मारे हैं। और कह रहे थे कि आज तो लोगों ने बचा लिया, अब अकेला मिलेगा तो जान से खत्म कर देंगे। उसके परिवार व नंदू के परिवार की पुरानी रंजिश चल रही थी इसी रंजिश पर से मारपीट की है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 79/14 के अंतर्गत भादवि की धारा 323 336, 506, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 323/34, 336/34, 506बी के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपीगीण ने दिनांक 22.02.14 को शाम करीब 5 बजे थाना चंदेरी में शराब के ठेके के पास सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आहत सुरेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा उस आशय के अग्रसरण में आहत सुरेश की लात-घूसों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?
2. क्या आरोपीगीण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत सुरेश को सहअभियुक्त के साथ मिलकर आहत सुरेश को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत सुरेश व वहां उपस्थित अन्य लोगों को पत्थर फेंककर वैयक्तिक क्षोभ संकटापन किया ?
3. क्या आरोपीगीण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत सुरेश को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रतिबाई, अ.सा. 02 सुरेश, अ.सा. 03 लखन कुशवाह, अ.सा. 04 विनोद, अ.सा. 05 गीताबाई, अ.सा. 06 डॉ आर पी शर्मा, अ.सा. 07 मुन्ना दरवान उर्फ शहादत, अ.सा. 08 जानकी बाई, अ.सा. 09 एस एस चौहान की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 02 सुरेश ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगीण को जानता है तथा फरियादिया रतिबाई उसकी पत्नी है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को शाह विलास दरगाह के पास आरोपीगीण ने पीछे से आकर उसे पटक लिया

और उस पर पत्थर मारे जिससे उसे चोटें आईं। उक्त साक्षी के अनुसार घटना के समय लाखन और वीरेंद्र मौजूद थे तथा मारपीट के अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ। अ.सा. 02 के अनुसार घरवाले उसको ऑटो में रखकर घटनास्थल से ले गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण दारू पिए थे इसलिए उन्होंने मारपीट की थी। अ.सा. 02 ने नक्शामौका प्रपी 03 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसकी आरोपीगण से पूर्व से रंजिश चल रही है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जब आरोपीगण ने उसकी मारपीट की तो वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया था। रिपोर्ट करने उसकी मां और रतिबाई गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसे सिर में सिर्फ एक ही पत्थर मारा था जिससे वह बेहोश हो गया था।

08— अ.सा. 01 रतिबाई जो कि मामले की फरियादिया है ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने सुरेश के साथ में मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार सुरेश जो कि उसका पति है बेहोश पड़े थे जिन्हें टैक्सी में लेकर अस्पताल ले गए थे और फिर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पति के शरीर पर चोटें आई थीं। उक्त साक्षी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनके परिवार एवं नंदू के परिवार में पुरानी रंजिश चल रही है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके सामने झगडा नहीं हुआ, उसे देखने वालों ने बताया था तथा घटनास्थल पर जब वह पहुंची तो आरोपीगण भाग गए थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसे मुन्ना दरबान ने फोन करके घटना के बारे में बताया था। अ.सा. 03 लखन कुशवाह ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण और फरियादी आपस में लड़ रहे थे जिन्हें उसने अलग किया था। उक्त साक्षी के अनुसार लड़ाई खत्म होने के पांच दस मिनट बाद वह पहुंचा था। अ.सा. 05 गीताबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह घटना के समय अपने घर पर थी तब किसी ने बताया था कि आरोपीगण ने उसके भाई के साथ मारपीट की है। उक्त साक्षी के अनुसार जब वह मौके पर पहुंची तब उसने देखा कि आरोपीगण पत्थर मारने ही वाले थे। उक्त साक्षी के अनुसार उसने किसी को मारते हुए

नहीं देखा। अ.सा. 08 जानकीबाई ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना के बारे में पता चला था और वह मौके पर पहुंची थी तब उसका लडका बेहोश पड़ा था। उक्त साक्षी के अनुसार घटनास्थल पर उपस्थित लोगों ने बताया था कि आरोपीगण ने पत्थर से मारा है। उक्त साक्षी के अनुसार उसने भी आरोपीगण को मारते हुए नहीं देखा।

09— अ.सा. 04 विनोद, अ.सा. 07 मुन्ना दरवान पक्षद्रोही हो गए हैं। उक्त साक्षीगण द्वारा अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त साक्षीगण के अनुसार उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है तथा पुलिस ने उनसे कोई पूछताछ नहीं की। अ.सा. 06 डॉ आर पी शर्मा द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण किया गया है जिसकी रिपोर्ट प्रपी 06 है जिसके अनुसार आहत को कठोर एवं सख्त वस्तु से चोट आई थी। अ.सा. 09 जो कि मामले का विवेचक है ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में विवेचना की गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार विवेचना के दौरान उसने नक्शामौका प्रपी 03 तैयार किया था तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए थे एवं आरोपीगण को गिरफ्तार किया था।

10— अभियोजन द्वारा अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा. 02 ने अपने कथनों में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की और साथ ही पत्थर से उसे मारा था। उक्त साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि आरोपीगण द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गई। अ.सा. 02 के अनुसार लाखन एवं वीरेंद्र घटना के चक्षुदर्शी साक्षी हैं। अ.सा. 03 लाखन की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उक्त घटना दिनांक को दोनों पक्षों के मध्य झगडा हुआ था। अ.सा. 01, अ.सा. 02 एवं अ.सा. 08 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य पुरानी रंजिश चली आ रही है। अ.सा. 01, अ.सा. 05 एवं अ.सा. 08 फरियादी के सगे संबंधी हैं तथा उक्त साक्षीगण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा घटना देखी नहीं गई। अ.सा. 05 की साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि जब वह घटनास्थल पर पहुंची तब झगडा हो चुका था।

11— अ.सा. 06 जो कि मेडिकल विशेषज्ञ हैं की साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आहत को चोट आई थी। अ.सा. 01 के अनुसार आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी इसलिए उसे चोट आई थी। प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के मध्य पुरानी रंजिश चल रही है, किंतु मात्र उक्त आधार पर यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि अभियोजन का मामला संदेहास्पद है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में घटनास्थल सार्वजनिक स्थल है तथा घटना के संबंध में अ.सा. 03 की साक्ष्य से अ.सा. 02 की साक्ष्य का अनुसमर्थन हो रहा है। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ लात-घूसों से मारपीट की गई एवं साथ ही पत्थर से भी मारपीट की गई। अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि आरोपीगण द्वारा फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा आरोपीगण को भादवि की धारा 323/34, 336/34 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

12— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चन्देरी जिला-अशोकनगर

### पुनश्चः—

13. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेश जैन का निवेदन है कि उक्त

अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध आरोपीगण द्वारा कारित किया गया है। आरोपीगण द्वारा पत्थर से मारपीट की गई है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

14. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 323/34 के अपराध में दो-दो माह के साधारण कारावास एवं 300-300 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण सात-सात दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 336/34 के अपराध में 15-15 दिवस के साधारण कारावास एवं 200-200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण तीन-तीन दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। उक्त दोनों दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

15. आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

16. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।
17. आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
18. आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)